

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञाप संख्या-4/क्षेत्रस्थाविधि(आवंटन)-31/2012-

(4)/रा0 पटना-15, दिनांक-

सेवा में,

महालेखाकार,
वीरचन्द पटेल पथ,
पटना।

विषय- संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों (लिपिक, राजस्व कर्मचारी, अमीन, अंचल निरीक्षक, आशुलिपिक, प्रारूपक, जंजीरवाहक-सह-आदेशपाल, प्रोसेस पिऊन, चालक तथा भूमि सुधार उप समाहर्ता के कार्यालय में संविदा के आधार पर नियोजित कार्यपालक सहायक) के पारिश्रमिक के भुगतान हेतु मुख्य शीर्ष 2029 के तहत 2801 व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएँ मद में कुल 1,09,36,000.00 (एक करोड़, नौ लाख, छत्तीस हजार रू0) मात्र व्यय की स्वीकृति।

आदेश :- स्वीकृत।

2. राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2015-16 में मुख्य शीर्ष-2029-भू-राजस्व-104-सरकारी सम्पदाओं का प्रबन्ध-0001-राजस्व प्रशासन पर व्यय 2801 व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएँ, माँग संख्या-40, विपत्र कोड-एन 2029001040001 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

3. राज्य के जिलों में संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों (लिपिक, राजस्व कर्मचारी, अमीन, अंचल निरीक्षक, आशुलिपिक, प्रारूपक, जंजीरवाहक-सह-आदेशपाल, प्रोसेस पिऊन, चालक तथा भूमि सुधार उप समाहर्ता के कार्यालय में संविदा के आधार पर नियोजित कार्यपालक सहायक) के मानदेय भुगतान हेतु जिलों से प्राप्त माँग-पत्र के आधार पर संलग्न विवरणी के अनुसार राशि की स्वीकृति दी जाती है। आवंटन आदेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

4. इसमें आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

5. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सम्बन्धित जिला के समाहर्ता होंगे तथा राशि की निकासी सम्बन्धित जिले के कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी।

6. राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं0-2561वि0(2), दिनांक-17.04.1998 के आलोक में की जायेगी।

7. उक्त स्वीकृत राशि के व्यय के क्रम में सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-8025 दिनांक-21.05.2013 में निहित प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

क०प०उ०

8. स्वीकृत राशि से संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों (लिपिक, राजस्व कर्मचारी, अमीन, अंचल निरीक्षक, आशुलिपिक, प्रारूपक, जंजीरवाहक-सह-आदेशपाल, प्रोसेस पिऊन, चालक तथा भूमि सुधार उप समाहर्ता के कार्यालय में संविदा के आधार पर नियोजित कार्यपालक सहायक) के पारिश्रमिक का ही भुगतान किया जायेगा। इस राशि के व्यय के पश्चात् उपयोगिता प्रमाण-पत्र/व्यय विवरणी निश्चित रूप से अगले माह की 7वीं तारीख तक विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

9. राशि का विचलन किसी भी स्थिति में नहीं किया जायेगा।

अनु०-यथोक्त।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-
(व्यास जी),
प्रधान सचिव।

✓
फैक्स

ज्ञापांक :- 373 (4) (4)/रा०, पटना-15, दिनांक-03-02-15

प्रतिलिपि:-वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/सभी सम्बन्धित कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी/सभी सम्बन्धित समाहर्ता/विभागीय प्रशाखा-5 (बजट) शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अमर
(व्यास जी),
प्रधान सचिव।
Boa-1

	जिला का नाम	स्वीकृत राशि	अभ्युक्ति
	3	4	5
1	नालंदा	2123925	71/20.01.2015 तथा 2449/15.10.2014
2	पटना	320000	100/13.02.2015 तथा 3236/17.11.2014
3	बक्सर	320000	030640/23.02.2015 तथा 03635/20.02.2015
4	सुपौल	320000	90302/26.02.2015 तथा 47902/23.03.2015
5	मधुबनी	320000	89/16.01.2015 तथा 279/12.08.2014
6	गोपालगंज	320000	358/07.03.2015
7	बेगुसराय	320000	429/02.03.2015
8	गया	320000	338/31.10.2014
9	बांका	320000	257/07.02.2015 तथा 873/12.05.2015
10	सीतामढ़ी	320000	1726/29.12.2014
11	खगड़िया	86700	50/19.03.2015
12	समस्तीपुर	320000	89/20.03.2015 तथा 61/19.03.2015
13	कटिहार	627450	1858/22.12.2014
14	पूर्णियाँ	320000	90/10.01.2015
15	रोहतास	1000000	346/04.03.2015
16	जमुई	320000	166/27.02.2015 तथा 167/27.02.2015
17	दरभंगा	320000	266/01.12.2014 तथा 273/28.12.2014
18	पू० चम्पारण	320000	02/05.01.2015
19	किशनगंज	318000	453/20.03.2015
20	कैमूर	320000	336/02.03.2015
21	जहानाबाद	320000	433/27.03.2015
22	मधेपुरा	320000	7652/28.08.2014
23	आरा	320000	265/09.03.2015
24	अररिया	271925	204/18.03.2015
25	लखीसराय	108000	266/28.02.2015
26	प० चम्पारण	320000	60/14.03.2014
27	सिवान	320000	981/10.07.2013
	कुल-	1,09,36,000.00	(एक करोड़ नौ लाख छत्तीस हजार रू०) मात्र

3
02/7/15